

कार्यालय
अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, आरा

अल्पकालीन पुर्ननिलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष - 2026-27 के लिए निम्नलिखित सैरातों की निलामी अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, आरा के कार्यालय कक्ष में दिनांक - 13.06.2026 को 12:30 बजे दिन में खुली डाक द्वारा की जाएगी। दिनांक 13.06.2026 को निलामी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर पुनः दिनांक 17.06.2026 एवं 20.06.2026 को निलामी की जायेगी। खुली डाक में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्ति को संबंधित सैरातों को विभाग द्वारा निर्धारित अग्रधन की राशि डाक में शामिल होने से पूर्व अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, आरा के कार्यालय में एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। न्युन्तम से कम राशि होने पर अगली निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती की जाएगी। बन्दोबस्ती सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति के पश्चात ही प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा।

क्र० सं०	निलामी स्थल का ब्यौरा	निलामी की तिथि	विभाग द्वारा न्युन्तम राशि (रु०)	अग्रधन की राशि विभाग द्वारा न्युन्तम राशि का 10%
1	आरा लॉक सं०-12 बघउत लख से गंगा नदी के मुहाने तक मछली मारने हेतु (लॉक से 500 फीट छोड़कर)।	13.06.2026	6,25,000.00	रु०-62,500.00
2	आरा लॉक सं०-11 से 12 के बीच नहर में मछली मारने हेतु (लॉक से 600 फीट छोड़कर)।	13.06.2026	4,900.00	रु०-490.00
3	बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं०-01 आरा के शिविर के सामने डग में मछली मारने हेतु	13.06.2026	14,600.00	रु०-1,460.00
4	बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं०-02 आरा के शिविर के सामने मिली टैंक में मछली मारने हेतु	13.06.2026	10,300.00	रु०-1,030.00


27.05.24
अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, आरा
27/05/24

निलामी की नियम एवं शर्तें

01. निलामी बोलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग-अलग जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से (कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, आरा के नाम से देय) जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति एवं वापसी निलामी स्थल पर होगी।
02. जमानत की राशि जमा करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति डाक बोलने का अधिकारी होगा। सर्वोच्च डाक बोलने वाले को छोड़कर शेष सभी की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। सर्वोच्च डाक बालने वाले व्यक्ति के जमानत की राशि का समायोजन निलामी की राशि जमा करने के समय की जाएगी। सर्वोच्च डाक बालने वाले डाक की शेष निलामी की राशि डाक समाप्त होने के पश्चात तीन दिनों के अन्दर बैंक ड्राफ्ट (कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, आरा के नाम से देय) जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
03. सर्वोच्च डाक लेने वाले को सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही प्रधिकार पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
04. निलामी के बाद किसी भी विवाद के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
05. जिस व्यक्ति को बन्दोबस्ती की जाएगी उसे इस बात का घोषण पत्र देना होगा कि नहर संरचनाओं एवं वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचायेंगे। क्षति पहुँचाने पर उनकी निलामी की पूर्ण राशि जप्त करते हुए निलामी रद्द कर दी जायेगी।
06. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों/निगमों/निकायो में संविदा अथवा ठेका कार्य के उद्देश्य से निर्गत, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की मूल प्रति दिखाना एवं उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

ह0/-

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, आरा

पत्रांक- 262 /

आरा

दिनांक- 27/05/2026

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, पटना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी

सोन नहर अवर प्रमण्डल, आरा